मेजर आर.एस. मुरगाई (सेवानिवृत)

बनाम

मेजर पी.एन. कौशिक (सेवानिवृत) और अन्य

12 अक्टूबर, 1979

[एस. मुर्तजा फजल अली और ए.पी. सेन, जेजे।]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, धारा 2(ग) – निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक पक्ष द्वारा लिखित दलीलें दायर की गईं - यदि निजी संचार न्याय के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है।

जब न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किसी मामले का एक पक्ष निर्णय सुरक्षित रखने के बाद लिखित निवेदन करता है, तो ऐसी दलीलों को न्यायाधीश के लिए निजी संचार नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 2(सी)(ii) के अर्थ के तहत उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने न्याय की उचित प्रक्रिया में पूर्वाग्रह से ग्रसित, हस्तक्षेप किया है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये प्रस्तुतियाँ रिकॉर्ड का हिस्सा बनीं। [937 बी-डी]

तत्काल मामले में निर्णय सुरक्षित रखने के बाद दायर अपने जवाबी हलफनामे में प्रतिवादी ने कहा कि वह कंपनी न्यायाधीश के निर्देशों के

अनुसार बयान दाखिल कर रहा था। उच्च न्यायालय को प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने के लिए न्यायसंगत ठहराया गया था। [937 ए-ई]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 427/1978

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अवमानना याचिका संख्या 7/78 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17-10-1978 से उत्पन्न।

व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी।

के.एन.भट, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

आर. पी. भट्ट, आर. बी. दातार और गिरीश चंद्र, प्रतिवादी 2 की ओर से।

पी. जी. गोखले, बी. आर. अग्रवाल, जेनेंद्र लाल और एम. एस. दीवान, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

फज़ल अली, न्यायाधिपति.

यह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इंकार करने के आदेश के के खिलाफ एक अपील है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के

समक्ष अवमानना का मामला लंबित था, जिस पर लंबी सुनवाई हुई और 9 दिसंबर, 1977 को सुरक्षित रखा गया था। फैसला वास्तव में 28-4-1978 पर सुनाया गया था और इन दो तिथियों के बीच न्यायालय में प्रतिवादियों द्वारा कुछ लिखित प्रस्तुतियाँ की गई थीं, जिसे अपीलार्थी ने अपनी याचिका में कंपनी न्यायाधीश को निजी संचार के रूप में वर्णित किया है। प्रतिवादी पी.एन.कौशिक ने जवाबी-हलफनामे के पैरा 36 में एक विशिष्ट आरोप लगाया गया है कि निर्णय सुरक्षित रखने के समय कंपनी न्यायाधीश ने पक्षकारों को निर्देश दिया था कि वे निर्णय सुनाने से पहले सम्बंधित बिन्द्ओं के सम्बन्ध में अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करें। विचाराधीन प्रस्तुतियाँ विभिन्न तिथियों प्रस्तुत की गई, अर्थात मेजर कौशिक द्वारा 12-12-77, 23-1-78 और 15-2-78 को पुनर्स्थापन महानिदेशक द्वारा। चूँकि ये प्रस्तुतियाँ न्यायालय के आदेश के अनुसरण में की गई थीं, इसलिए इन्हें मामले का निर्णय करने के लिए कंपनी न्यायाधीश के लिए निजी संचार नहीं माना जा सकता। चूंकि ये दस्तावेज़ न्यायालय के निर्देशों के तहत न्यायालय के समक्ष दायर किए गए थे, इसलिए यह कल्पना के आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि ये दस्तावेज़ धारा 2 (सी) के अर्थ के तहत न्याय के उचित पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखते हैं। (ii) और इसलिए, यह न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 2(सी) के अर्थ के अंतर्गत आपराधिक अवमानना नहीं होगी। ये प्रस्तुतियाँ अभिलेख का हिस्सा हैं और इसलिए,

उन्हें एक वादी से न्यायाधीश तक निजी संचार के रूप में माने जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके विपरीत, पुनर्वास महानिदेशक को न्यायालय द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था और अदालत का एक अधिकारी होने के नाते, वह विचाराधीन मामले के संबंध में अदालत में प्रस्तुतियाँ देने के लिए स्वतंत्र था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रस्तुतियों पर उत्तरदाताओं के खिलाफ अवमानना के लिए कोई नोटिस जारी करने से इनकार करना पूरी तरह से उचित था। हम उस अपील की योग्यता के संबंध में कोई टिप्पणी करने से बचेंगे जो अपीलकर्ता ने कंपनी न्यायाधीश के 28 अप्रैल, 1978 के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के समक्ष दायर की है, जिसे हम समझते हैं कि डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई लंबित है। इस न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पूरी तरह से गलत है और खारिज कर दी गई है।

इस मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

पीबीआर.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
